

23/8/24

पत्रावली पेशा हुई। वादी मध्य अधिवक्ता उपस्थित
नहीं। विधिवत आवाज लगाई गई। वादी व उनके
अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः
वादी का वाद अफस हजरी व अफस पैली में खारीज
किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सांडल जिला धौलवाड़ा